संख्या- 35/2015/739/59-2-2015-93/(खा)/2007

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय-मु०का०अ०
डायरी संख्या 487
दिनाँक 9/10/015

व०स०मु०का०अ० | नियो

8.10.15

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 07 अक्टूबर, 2015

9-10-15

564A
9/10/15

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रो का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-90/खा0ग्रा0बो0/खादी/उच्चीकरण/2015-16, दिनांक 14-09-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 30.55 लाख (रूपये तीस लाख पचपन हजार मात्र) में से पचास प्रतिशत की धनराशि रूपये 15,27,500.00 (रूपये पन्द्रह लाख सत्ताइस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-23-खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण -20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में निहित व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या- 35/2015/739(1)/59-2-2015-93(खा)/2007 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्तीय एवं लेखाधिकारी,कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग1/नियोजनअनुभाग4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9- एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ।
10- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।